न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2018 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए बनाम तहसीलदार भीलवाडा

1. श्री देवी पिता मगना गुर्जर
2. भैरू पिता कजोड गुर्जर
3. उदा पिता रूपा गुर्जर
4. नारायण पिता रूपा गुर्जर

निवासी हांसियास तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रणवीर सिंह राणावत, अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.07.2019

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./5998/2008/भीलवाडा सरकार बनाम देवी गुर्जर व अन्य निर्णय दिनांक 05.07.2017 इस प्रकार है– प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया कि ग्राम हांसियास तहसील भीलवाडा की आराजी सं. 80, 81 रकबा 2.04 बीघा भूमि जुझार जी मंदिर के खाते में अभिलिखित होकर पुजारी कजोड पिता गोकल, मूला पिता गोकल गुर्जर व लालू पिता प्रताप, देवी पिता बख्तावर ब्राह्मण के नाम जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 126,127,128,129 रकबा 1.16 बीघा बने जो श्री जुझार जी स्थानदेह के नाम पर 1.11 बीघा व शेष आराजी भू भाग खसरा नं. 126 से 0.03 बीघा व खसरा नंबर 127 से 0.01 बीघा विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित कर दी गयी। मंदिर मूर्ति की भूमि को भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी आधार के विपक्षीगण के नाम अभिलिखित कर दिया जो नियमों के विरूद्ध हैं। अतः विवादित आराजी को पुनः राजस्व अभिलेख में श्री जुझार जी स्थानदेह के नाम अभिलिखित कराने हेतु रेफरेन्स किया जावे।

हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का अनुरोध नही किया गया हैं तथा न ही यह अंकित किया गया हैं कौनसे आदेश, निर्णय या कार्यवाही में अनियमितता हुयी, जिसके संबंध में निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स पेश करना आवश्यक हुआ। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि मामले की पुनः जांच कर उक्त आदेश से संबंधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

ग्राम हांसियास के साबिक आराजी नं. 80 रकबा 1.02 बीघा श्री जुझारं जी स्थान देह पुजारी कजोड पिता गोकल गुर्जर पुजारी के नाम पर एवं आराजी नं. 81 रकबा 1.02 बीघा भूणलाल पिता गोकल गुर्जर पुजारी के नाम पर दर्ज थी। जिसे भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आदेश के हाल आराजी नं. 126 रकबा में से 0.03 बीघा एवं आराजी नं. 127 में से 0.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 0.05 बीघा भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री जुझार जी स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 अनुसार आराजी सं. 80, 81 रकबा 2.04 बीघा भूमि श्री जुझार जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम हांसियास के साबिक आराजी नं. 80 रकबा 1.02 बीघा श्री जुझार जी स्थान देह पुजारी कजोड पिता गोकल गुर्जर पुजारी के नाम पर एवं आराजी नं. 81 रकबा 1.02 बीघा भूणलाल पिता गोकल गुर्जर पुजारी के नाम पर दर्ज थी। जिसे भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आदेश के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

हाल आराजी नं. 126 रकबा में से 0.03 बीघा एवं आराजी नं. 127 में से 0.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 0.05 बीघा भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी हैं। जिसे पुनः विपक्षीगण के नाम से हटाया जाकर श्री जुझार जी स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)